



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2198]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 20, 2013/भाद्र 29, 1935

No. 2198]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 20, 2013/BHADRA 29, 1935

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2013

दिल्ली में फार्म हाउसों के नियमन हेतु विनियम
(दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 57 के अंतर्गत)

का.आ. 2822(अ).—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली विकास प्राधिकरण केन्द्र सरकार के अनुमोदन से विद्यमान फार्म हाउसों के नियमन के संबंध में भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 2622(अ), दिनांक 30 अक्टूबर, 2012 की अन्य शर्तों के पैरा 1.2 के अंतर्गत खण्ड (iii) के अनुपालन में एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है ।

श्रेणी—I क्षेत्र अर्थात् दक्षिणी दिल्ली, मध्य दिल्ली और द्वारका में अवस्थित संस्वीकृत फार्म हाउसों के संबंध में देय प्रभारों में दो घटक शामिल होंगे:—

1. **उपयोग परिवर्तन प्रभार :** 630 रु. प्रति वर्ग मीटर

2. **अतिरिक्त निर्माण के लिए जुर्माना :** यह निर्माण की लागत की प्रतिशतता के रूप में वसूल किया जाएगा और अतिरिक्त निर्माण की बढ़ती हुई सीमा के अनुसार उत्तरोत्तर बढ़ता जाएगा । इस संबंध में वसूल किये जाने वाले प्रभार निम्नानुसार होंगे :

क्र.सं.	उपयोग किया गया एफ. ए. आर.	5 से अधिक अतिरिक्त एफ.ए.आर.	लागू होने वाली निर्माण की लागत का %	दर प्रति वर्ग मीटर (रुपये में)
1	5	0	लागू नहीं	शून्य
2.	10	5	50%	10,000
3.	15	10	60%	12,000
4.	20	15	70%	14,000
5.	25	20	80%	16,000
6.	30	25	90%	18,000

विद्यमान फार्म हाउसों के नियमन के लिए समेकित दरें

उपर्युक्त दरों को अपनाते हुए, उदाहरण के रूप में एक हेक्टेयर (10,000 वर्ग मीटर) के संस्वीकृत फार्म हाउसों के मामले में देय जुर्माने की दरें निम्नलिखित होंगी ।

उपयोग किया गया एफ. ए. आर.	5 से अधिक अतिरिक्त एफ.ए.आर.	वर्ग मीटर में परिवर्तित	श्रेणी-‘I’ क्षेत्र में संस्वीकृत फार्म हाउस (प्रभार लाखों में)
5	0	0	63.00
10	5	500	113.00
15	10	1000	183.00
20	15	1500	273.00
25	20	2000	383.00
30	25	2500	513.00

सभी असंस्वीकृत फार्म हाउसों के मामले में 10% की दर से अतिरिक्त प्रभार वसूल किये जाएँगे ।

श्रेणी-‘I’ क्षेत्र अर्थात् दक्षिणी दिल्ली, मध्य दिल्ली और द्वारका के बाहर अवस्थित फार्म हाउसों के लिए 25% की छूट की अनुमति दी जाएगी ।

दिनांक 30 अक्टूबर, 2012 की अधिसूचना की अन्य निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी ।

ये प्रभार भारत सरकार द्वारा आगे संशोधन करने एवं अधिसूचना जारी करने तक लागू रहेंगे ।

[फा. सं. एफ. 6(18)2012/ए.ओ.(पी.)]

डी. सरकार, आयुक्त एवं सचिव

**DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th September, 2013

Regulations for Regularization of Farm Houses in Delhi (Under Section 57 of DD Act, 1957)

S.O. 2822(E).—In exercise of powers conferred by section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Delhi Development Authority in accordance with the approval of the Central Government hereby makes the following regulations in pursuance to Clause (iii) under para 1.2 of Other Conditions of Notification No. S.O. 2622(E), dated 30th October, 2012 published in the Gazette of India, regarding Regularization of Existing Farm Houses.

The charges payable in respect of sanctioned farm houses in category-I Area i.e. located on South Delhi, Central Delhi and Dwarka will consist of two components :—

- Use Conversion charges :** Rs. 630 per sq. metre.
- Penalty for excess construction:** It would be charged as a percentage of cost of construction and would progressively increase with the increasing extent of excess construction. The charges payable in this regard will be as follows:

S.No.	FAR Utilized	Excess FAR over 5	% of cost of construction to be applied	Rate per sq. mtrs. (in Rs.)
1	5	0	NA	Nil
2	10	5	50%	10,000
3	15	10	60%	12,000
4	20	15	70%	14,000
5	25	20	80%	16,000
6	30	25	90%	18,000

Consolidated Rates for Regularization of Existing Farm Houses

By adopting the aforesaid rates, the following would be the illustrative rates of penalty payable on sanctioned Farm Houses, for one hectare (10000 Sqm).

FAR Utilized	Excess FAR Over 5	Converted into Sq.M.	Sanctioned Farm Houses in Category-I area (Charges in Lakhs)
5	0	0	63.00
10	5	500	113.00
15	10	1000	183.00
20	15	1500	273.00
25	20	2000	383.00
30	25	2500	513.00

Additional Charges @ 10% shall be levied on all the Unsanctioned Farm Houses.

A rebate of 25% will be allowed for Farm Houses located outside Category-I areas i.e South Delhi, Central Delhi and Dwarka.

The other terms and conditions of Notification dated 30th October, 2012 will remain unchanged.

These charges will remain in force till further modification and notification by the Govt. of India.

[F. No. F. 6(18) 2012/AO (P)]
D. SARKAR, Commissioner-cum-Secy.